प्रेस विज्ञप्ति

24.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला उप-आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला द्वारा 03.01.2026 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किए गए आरोपी मनदीप राणा की दो संपत्तियों को 23.04.2026 के आदेश द्वारा जब्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया है। माननीय विशेष न्यायालय ने मनदीप राणा की उक्त संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है, क्योंकि इसके लिए आवेदन न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।

मानव भारती विश्वविद्यालय और उससे जुड़ी संस्थाओं से जुड़े बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री घोटाले के संबंध में हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के धरमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच शुरू की।

ईडी की जांच में सामने आया कि राज कुमार राणा ने सह-अभियुक्तों, जिनमें उसकी पत्नी आशोनी कंवर और बेटा मनदीप राणा शामिल हैं, के साथ आपराधिक साजिश रचकर एजेंटों और बिचौलियों के माध्यम से फर्जी डिग्री बेचने का सुव्यवस्थित रैकेट चलाया। ये फर्जी डिग्री छात्रों से पैसे लेकर मानव भारती यूनिवर्सिटी, सोलन के नाम पर जारी की जाती थीं।

धोखाधड़ी की मात्रा चिंताजनक है, जिसमें अपराध से प्राप्त आगम लगभग 387 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह एक बहुत गंभीर वित्तीय अपराध है जिसमें आरोपी ने अनगिनत युवाओं के करियर, आकांक्षाओं और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और उन्हें मामूली वित्तीय लाभ के लिए गंभीर शैक्षणिक और व्यावसायिक जोखिम में डाल दिया।

अपराध से प्राप्त आगम को व्यवस्थित रूप से लेनदेन के नेटवर्क के माध्यम से स्तरित और शोधित किया गया और बाद में आरोपी व्यक्तियों और उनकी संबंधित संस्थाओं के नाम पर कई राज्यों में चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में निवेश किया गया। ईडी ने आज तक लगभग 200 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिनमें से सभी की पुष्टि पीएमएलए के तहत माननीय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई है।

किन्तु न्यायिक प्रक्रिया की घोर एवं सोची-समझी अवहेलना करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की मनदीप राणा ने जानबूझकर अवहेलना की और उसका पालन करने में विफल रहे, जानबूझकर कानून की उचित प्रक्रिया से बचने का विकल्प चुना। बार-बार समन जारी करने और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए किए गए विस्तृत, निरंतर प्रयासों के बावजूद, अभियुक्त ने जानबूझकर और लगातार, जांच में शामिल होने या भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होने से इनकार कर दिया। इस तरह का आचरण न्याय में एक निर्लज्ज और जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने वाला है। परिणामस्वरूप, कानून के अनुसार उनके खिलाफ कठोर जबरन कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

उनके लगातार भागने के कारण, ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत कार्यवाही शुरू की, 03.01.2026 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2026 के द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी मनदीप राणा के खिलाफ उसकी संपत्तियों की जब्ती की मांग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के तहत आवेदन दायर करके एक बड़े फर्जी डिग्री रैकेट को निर्णायक झटका दिया है।

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला ने अब आवेदन को स्वीकार कर लिया है और मनदीप राणा की अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है, जिन्हें विशेष न्यायालय द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।

जब्त करने के लिए मांगी गई उपरोक्त संपत्तियां पहले से ही पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की जा चुकी हैं और न्यायालय ने माना कि एफईओ अधिनियम, 2018 की धारा 12(2) के तहत जब्त करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि एफईओ अधिनियम की धारा 4(सी) के तहत जब्त करने के लिए एक आवेदन, पीएमएलए की संबंधित कार्यवाही में किए गए निष्कर्षों और संलग्नकों पर वैध रूप से भरोसा कर सकता है और यह पर्याप्त प्रमाण है कि वर्तमान कार्यवाही के तहत जब्त की जाने वाली संपत्तियां वास्तव में एफईओ अधिनियम के अर्थ के भीतर अपराध के आगम हैं।

वर्तमान जब्ती आदेश भारतीय कानून की चोरी के खिलाफ निवारण का स्पष्ट और प्रकट दावा है। यह एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि देश से भागने या न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करने से अपराधियों को कठोर कानूनी परिणामों से बचाया नहीं जाएगा। भगोड़े अपराधियों का पता लगाने, सभी वैध माध्यमों से भारत में उनकी वापसी सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए ईडी अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है कि वे कानून की उचित प्रक्रिया का सामना करें। साथ ही, अपराध के आगम से जुड़ी सभी संपत्तियों की पहचान, संलग्न और जब्ती करने के लिए अथक प्रयास जारी रहेंगे, जिससे ऐसे आपराधिक नेटवर्क की वित्तीय रीढ़ की हड्डी को नष्ट किया जा सके।

आगे की जांच जारी है।